भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-170

उत्तर देने की **तारीख**-04/12/2023

मध्याह्न भोजन योजना के लिए निधियों का आबंटन

†170. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत नौ वर्षों के दौरान राज्य स्तर पर कार्यान्वित मध्याह्न भोजन योजना के लिए जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विगत दस वर्षों में मध्याह्न भोजन योजना के लिए निधियां जारी किए जाने में कोई विलंब हुआ है;
(ग) यदि हां, तो ऐसी निधियां किन-किन तिथियों को जारी की गई थीं, तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) मध्याह्न भोजन योजना के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी किए जाने में विलंब के कारणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)' जिसे पहले 'स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' के रूप में जाना जाता था, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की गई सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। पिछले नौ वर्षों के दौरान योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) से (घ): योजना के अंतर्गत कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) - पीएम पोषण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) को अनुमोदन देता है। केंद्रीय सहायता वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन पीएबी-पीएम पोषण के अनुमोदन के आधार पर जारी की जाती है। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है:

i. राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जीएफआर-12सी के निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करना।

ii. खाद्यान्न आवंटन, उठाव एवं उपयोग की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना।

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय भाग की पूरी राशि और उसके अनुरूप राज्य भाग को राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में अंतरित करना।

iv. भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में केंद्रीय भाग के लिए अर्जित ब्याज को जमा करना।

v. निधियां जारी करते समय राज्य के भाग सहित एसएनए खाते में उपलब्ध निधियां जारी होने वाली संभावित किश्त (केंद्रीय भाग + राज्य का भाग) के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

vi. पीएम पोषण योजना के तहत केंद्र और राज्य के भाग के लिए राज्य की विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी) में अलग बजट लाइन खोली जानी चाहिए।

vii. राज्य को जारी की गई निधियों का कम से कम 75% (केंद्रीय भाग और संबंधित राज्य भाग दोनों) उपयोग करना चाहिए ।

viii. एसएनए के साथ सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) की मैपिंग।

कुछ मामलों में, निधियां जारी करने के लिए अपेक्षित उपर्युक्त औपचारिकताओं के अपूर्ण अनुपालन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावों को देर से प्रस्तुत करना, उनके पास उपलब्ध बड़ी अव्ययित शेष राशि, एसएनए को राज्य राजकोष द्वारा केंद्र और राज्य दोनों के भाग के अंतरण में देरी के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय की धीमी गति, निधि जारी करने में समय लगता है। निधियां जारी करने के लिए जारी किए गए स्वीकृति आदेश उसी समय आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं। स्वीकृति आदेश के आधार पर, वेतन एवं लेखा कार्यालय, राज्य कोषागार को निधियां जारी करता है।

****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा 'मध्याह्न भोजन योजना के लिए निधियों का आबंटन' के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मध्याह्न भोजन योजना हेतु निधियां

पिछले नौ वर्षों के दौरान पीएम पोषण योजना के तहत निधियां जारी करना

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केंद्रीय सहायता				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	31556.76	29064.76	24402.16	25713.85	25748.17
2	अरुणाचल प्रदेश	3351.71	3273.34	3355.92	2551.75	2506.03
3	असम	47985.16	55376.49	54846.72	52903.47	51982.21
4	बिहार	136532.10	120013.29	114257.02	97871.58	112448.94
5	छत्तीसगढ़	31564.09	26991.77	29196.57	27683.33	32085.98
6	गोवा	1403.61	1297.20	1230.38	1230.93	1309.07
7	गुजरात	44783.33	38053.30	40756.01	40429.86	42351.63
8	हरियाणा	16398.99	12382.80	11539.51	9953.83	13218.95
9	हिमाचल प्रदेश	7460.91	8141.23	8028.63	8684.10	8021.30
10	जम्मू एवं कश्मीर	6203.30	8366.30	11393.26	6328.69	10665.80
11	झारखंड	21508.92	24518.16	38196.77	30332.59	33242.99
12	कर्नाटक	56610.57	41939.61	43937.98	44788.57	40707.67
13	केरल	22575.34	17120.97	17781.46	32978.36	19856.63
14	मध्य प्रदेश	79567.82	60698.68	65741.79	58098.87	56191.95
15	महाराष्ट्र	95059.83	103072.93	70686.68	80310.70	98185.46
16	मणिपुर	3281.86	2452.83	2691.66	2479.76	2050.81
17	मेघालय	6247.18	7024.57	6239.53	6486.73	7734.39
18	मिजोरम	2049.78	2060.99	2017.24	2018.32	1889.23
19	नगालैंड	4226.96	1073.68	2423.56	1776.42	2861.95
20	ओडिशा	49303.55	39731.89	43841.08	41927.41	39556.93
21	पंजाब	13500.81	16650.04	13773.43	14330.59	15249.99
22	राजस्थान	41757.13	41934.63	45451.46	41107.05	42043.30
23	सिक्किम	1040.14	1001.38	899.13	881.12	881.15
24	तमिलनाडु	63991.10	44253.83	42846.05	42506.34	42054.58
25	तेलंगाना	20114.42	17435.58	18085.87	15494.76	15757.34
26	त्रिपुरा	4827.01	5129.42	5279.73	5119.04	5339.03
27	उत्तराखंड	8931.74	10419.33	8483.19	9714.20	9478.27
28	उत्तर प्रदेश	105142.49	86192.86	101736.19	100475.08	112771.60
29	पश्चिम बंगाल	109189.56	75582.33	106921.55	97146.30	91710.01
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	322.20	281.46	415.17	388.65	584.78
31	चंडीगढ़	810.48	756.43	819.30	669.35	1062.83
32	डी एंड एन हवेली	409.77	569.38	638.51	538.44	933.22
33	दमन और दीव	213.31	272.37	284.48	332.16	304.07
34	दिल्ली	7892.30	9449.23	9075.93	5294.99	9808.38
35	लक्षद्वीप	108.81	127.04	127.60	118.41	124.63
36	पुदुचेरी	597.70	520.77	459.94	402.48	515.51
कुल (लाख में)		**10,46,520.74**	**9,13,230.87**	**9,47,861.46**	**9,09,068.08**	**9,51,234.77**

जारी.......

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केंद्रीय सहायता			
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	28563.77	37510.17	35731.48	36531.92
2	अरुणाचल प्रदेश	2367.90	2917.87	2968.58	1707.01
3	असम	55325.82	75703.77	61570.10	88721.40
4	बिहार	109313.34	139248.01	103016.32	76399.12
5	छत्तीसगढ	25489.23	38080.87	21315.32	51008.15
6	गोवा	1276.05	1709.34	668.18	1531.12
7	गुजरात	39287.11	52871.83	50706.46	52293.03
8	हरियाणा	10889.91	15572.73	10163.12	15290.09
9	हिमाचल प्रदेश	7557.54	10500.11	6290.49	13801.77
10	जम्मू एवं कश्मीर	2666.45	15960.26	12221.88	8684.90
11	झारखंड	32310.90	35203.74	25189.45	38424.29
12	कर्नाटक	52056.79	51553.53	48834.32	69076.57
13	केरल	19962.41	27688.82	18482.19	42543.83
14	मध्य प्रदेश	50407.62	82754.74	47220.22	36285.00
15	महाराष्ट्र	99468.82	100250.03	49075.07	159240.67
16	मणिपुर	2192.30	3900.45	1678.74	2763.32
17	मेघालय	7835.83	8733.94	8564.77	10124.13
18	मिजोरम	2047.93	2313.45	892.98	2974.36
19	नगालैंड	2279.38	2744.38	1472.51	3196.49
20	ओडिशा	40358.68	58301.22	48208.87	56373.86
21	पंजाब	13855.77	21769.15	19146.03	18712.92
22	राजस्थान	47252.76	71100.05	53106.11	89960.12
23	सिक्किम	817.45	840.58	500.65	1145.02
24	तमिलनाडु	43121.49	49221.67	23264.94	47700.10
25	तेलंगाना	18821.14	4524.22	4334.63	16682.36
26	त्रिपुरा	5598.51	6220.56	7718.82	6857.03
27	उत्तराखंड	10273.31	13024.30	12477.64	11575.54
28	उत्तर प्रदेश	118201.96	207166.14	199805.66	133407.60
29	पश्चिम बंगाल	107102.66	134330.72	139412.35	148947.05
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	754.85	648.71	540.19	365.23
31	चंडीगढ़	884.26	1338.56	1721.62	1773.77
32	डी एंड एन हवेली, दमन और दीव	572.89 258.31	1307.94	1221.23	1227.10
33	दिल्ली	10319.99	11297.29	4403.79	21527.10
34	लद्दाख	98.93	32.62	0.00	83.74
35	लक्षद्वीप	122.35	555.79	376.96	200.61
36	पुदुचेरी	290.01	503.45	373.33	363.04
	कुल	**9,70,004.42**	**12,87,401.01**	**10,22,675.00**	**12,67,499.36**